न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार झिंगोनिया (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0 15/17 दायरा दिनांक 23.06.2017

1–शशिकपूर उम्र पुत्र कैलाशचन्द जाति किराड निवासी मझारी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

2–निशाबाई पुत्री कैलाशचन्द पत्नि बबलेश जाति किराड निवासी देवरी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

3–कैलाश्चन्द पुत्र श्रीलाल जाति किराड निवासी देवरी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

वादीगण

बनाम

1–कंचनलाल पुत्र बुद्वा जाति किराड निवासी पीपलखेडी तलहटी तहसील शाहाबाद बारां राज0

2–रामदयाल पुत्र बुद्वा जाति किराड निवासी पीपलखेडी तलहटी तहसील शाहाबाद बारां राज0

3–जामवन्ती पुत्री बुद्वा पत्नि रामजीलाल जाति किराड निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद बारां राज0

4–रज्जू पुत्र तोरनसिंह जाति किराड निवासी पीपलखेडी तलहटी तहसील शाहाबाद बारां राज0

5–संजय पुत्र तोरनसिंह जाति किराड निवासी पीपलखेडी तलहटी तहसील शाहाबाद बारां राज0

6–अरविन्द पुत्र तोरनसिंह जाति किराड निवासी पीपलखेडी तलहटी तहसील शाहाबाद बारां राज0

7–वादामी वेवा तोरनसिंह जाति किराड निवासी पीपलखेडी तलहटी तहसील शाहाबाद बारां राज0

8–कैलाश पुत्र शंकर जाति किराड निवासी पीपलखेडी तलहटी तहसील शाहाबाद बारां राज0

9–सुआ पुत्र शंकर जाति किराड निवासी पीपलखेडी तलहटी तहसील शाहाबाद बारां राज0

10–श्रीमति पुत्री शंकर पत्नि हरिशंकर जाति किराड निवासी भानपुर तहसील शाहाबाद बारां राज0

11–मिन्टा पुत्री शंकर पत्नि कल्ला जाति किराड निवासी सहरोलतलेटी तहसील शाहाबाद बारां राज0

12–गुलाब वेवा शंकर जाति किराड निवासी पीपलखेडी तलहटी तहसील शाहाबाद बारां राज0

13–राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,88,89,90,91,183,188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक 28.11.2025

Signature Not Verified
Digitally Signed by Sunil Kumar Jhingonia
Date: 2026.02.10 17:10:55 IST
Reason: SelfAttested

ब हाजिरी

वादीगण की ओर से – श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादी 1,3,8,9 ओर से – श्री अजय अग्रवाल एडवोकेट

शेष प्रतिवादी की ओर से – एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with OKEN Scanner

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम गन्नाखेडी पटवार हल्का कस्बानौनेरा में खाता संख्या 8 की आराजी ख0नं0 47 की 1.10 बीघा, ख0नं0 60 की 0.04 बीघा, ख0नं0 86 की 6.08 बीघा, ख0नं0 124 की 33.16 बीघा किता 4 कुल रकबा 41.18 बीघा तथा ग्राम गन्नाखेडी में ही खाता संख्या 7 की आराजी ख0नं0 132 की 4.17 बीघा कृषि भूमि स्थित है, जो वर्तमान में प्रतिवादी कम 1 लगायत 12 के सहखातेदारी में दर्ज है, जिसे विवादित आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया गया है। विवादित आराजी खाता संख्या 8 की आराजी ख0नं0 47 की 1.10 बीघा, ख0नं0 60 की 0.04 बीघा, ख0नं0 86 की 6.08 बीघा, ख0नं0 124 की 33.16 बीघा किता 4 कुल रकबा 41.18 बीघा के मूलखातेदार बुद्वा पुत्र छोट्या कोम किराड निवासी पीपलखेडी तलहटी थे। मूलखातेदार बुद्वा के तीन पुत्र कंचनलाल रामदयाल तोरनसिंह व दो पुत्रियां जामवन्ती व कुसमा हैं। तोरनसिंह फोत हो चुका है, प्रतिवादी 4 ता 7 तोरनसिंह के वारिसान हैं। वादीकम 1 व 2 मृतक कुसमा के पुत्र पुत्री व वादीकम 3 पति होकर कुसमा के वारिसान हैं। इसी प्रकार खाता संख्या 7 की आराजी ख0नं0 132 की 4.17 बीघा भूमि के हिस्सा 1/2 से खातेदार बुद्वा पुत्र छोट्या कोम किराड निवासी पीपलखेडी तलहटी थे। खातेदार बुद्वा की मृत्यु के बाद तस्दीक किये गये फोती नामान्तरकरण संख्या 201 दिनांक 29.12.2010 मृतक बुद्वा के समस्त वारिसान के नाम तस्दीक करने के स्थान पर केवल प्रतिवादी कम 1 लगायत 7 के नाम सर्वथा अवैध रूप से तस्दीक कर दिया, जो सर्वथा अवैध विधि–विरूद्व व शून्य है, जिससे वादीगण के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होता है। मृतक कुसमा के वारिसान होने के कारण नियमानुसार वादीगण विवादित भूमि खाता संख्या किता 4 कुल 41.18 बीघा में हिस्सा 1/5 से तथा खाता संख्या 7 ख0नं0 132 रकबा 4.17 बीघा में हिस्सा 1/10 से अधिकारी हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण से दिनांक 25.03.2017 को विवादित आराजी को हिस्से अनुसार विभाजन कर वादीगण को उनके हिस्से पर कब्जा दिये जाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण इनकार हो गये तथा विवादित भूमि को खुर्द बुर्द करने की धमकी दी, तब वाद कारण पैदा हुआ। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि विवादित आराजी ग्राम गन्नाखेडी पटवार हल्का कस्बानौनेरा खाता संख्या 8 की आराजी ख0नं0 47 की 1.10 बीघा, ख0नं0 60 की 0.04 बीघा, ख0नं0 86 की 6.08 बीघा, ख0नं0 124 की 33.16 बीघा किता 4 कुल रकबा 41.18 बीघा में हिस्सा 1/5 से तथा खाता संख्या 7 की आराजी ख0नं0 132 की 4.17 बीघा में 1/10 हिस्से से वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर खाता प्रथक कर वादीगण के हिस्से की भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे, इत्यादि।

2. दावा दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी कम 13,8,9 जर्ये वकील उपस्थित। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना सम्मन के अनुपस्थित रहे, जिनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी कम 1 कंचनलाल की ओर से प्रस्तुत जबाव में वादपत्र की सभी मद को अस्वीकार करते हुये विशेष अपत्तियां दी गई कि वादीगण का विवादित आराजीयात में कोई हक हिस्सा नहीं है वादीगण का मृतक खातेदार से कोई रिश्ता नहीं रहा है, इस कारण वादीगण किसी तरह का अनुतोष प्राप्त करने के हकदार नहीं है, वादीगण को सक्षम न्यायालय से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Jhingonia
Date: 2026.02.10 17:10:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिये, उसके अभाव में वादपत्र चलने योग्य नहीं है। कुसमा की मृत्यु खातेदार बुद्दू से पूर्व हिन्दु उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के पूर्व होने के कारण विवादित आराजीयात में कोई हक अधिकार नहीं है। वादीगण द्वारा वादपत्र की द्वितीय प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने से तथा प्रतिवादी कम 13 को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस नहीं दिये जाने से वाद आदेश 7 नियम 11 सीपी.सी. नामंजूर किये जाने योग्य है। विवादित आराजी पिछले 40 वर्षों से प्रतिवादीगण के स्वतंत्र कब्जे काश्त में चली आ रही है और प्रत्येक प्रतिवादी अपने अपने हिस्से पर स्वतंत्र रूप से काश्त करता चला आ रहा है, अपने अपने हिस्से को श्रम व पैसा खर्च करके सुधार व काबिल काश्त बनाया है, जिसमें दखलन्दाजी करने का वादीगण को कोई विधिक अधिकार नहीं है। अतः वाद वादीगण सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

3. प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गई –

1–आया वादपत्र की मद नंबर 1 में वर्णित विवादित आराजी के मूलखातेदार बुद्दा पुत्र छोट्या कोम किराड निवासी पीपलखेडी के तीन पुत्र कंचनलाल रामदयाल तोरनसिंह व दो पुत्रियां जामवन्ती व कुसमा थी ?

2–आया बुद्दा के तस्दीक किये गये फोती इन्तकाल सं0 201 दिनांक 29.12.2010 समस्त वारिसान के स्थान पर केवल प्रतिवादी कम 1 लगायत 7 के नाम तस्दीक किये जाने से विधि विरूद्व व प्रभाव शून्य है ?

3–आया वादीगण मृतक कुसमा के वारिसान होने से विवादित भूमि ग्राम गन्नाखेडी कुल किता 4 कुल रकबा 41.18 बीघा में 1/5 हिस्से से तथा ग्राम गन्नाखेडी में ही ख0नं0 132 रकबा 4.17 बीघा में 1/10 हिस्से से खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

4–आया कि वादीगण को सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के अभाव में वाद चलने योग्य नहीं है ?

5–आया वादी कुसमा की मृत्यु हिन्दु उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से पूर्व होने के कारण विवादित आराजीयात में कोई हक अधिकार नहीं है ?

6–आया विवादित आराजी पिछले 40 सालों से स्वतंत्र कब्जे काश्त एवं प्रत्येक प्रतिवादी अपने अपने हिस्से पर काबिज होने से वादीगण को दखलन्दाजी करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ?

4. वादीगण की ओर से साक्ष्य अन्तर्गत पी.डब्लू 1 निशाबाई के बयान कराये गये और नकल नामान्तरकरण नंबर 201 ग्राम गन्नाखेडी प्रदर्श 1, जमाबंदी ग्राम गन्नाखेडी सम्वत 2070–73 खाता संख्या 8 प्रदर्श 2 तथा नकल जमाबंदी ग्राम गन्नाखेडी सम्वत 2070–73 खाता संख्या 7 प्रदर्श 3 पेश किये। प्रतिवादी की ओर से डी.डब्लू 1 कंचनलाल के बयान कराये गये।

5. उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तनकीवार विष्लेशण निम्न प्रकार है–

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Jhingonia
Date: 2026.02.10 17:10:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with OKEN Scanner

1—आया वादपत्र की मद नंबर 1 में वर्णित विवादित आराजी के मूलखातेदार बुद्वा पुत्र छोट्या कोम किराड निवासी पीपलखेडी के तीन पुत्र कंचनलाल रामदयाल तोरनसिंह व दो पुत्रियां जामवन्ती व कुसमा थी ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण का है। नामान्तरकरण नंबर 201 की नकल प्रदर्श 1 में अंकित सजरे में मूलखातेदार बुद्वा के 2 जीवित पुत्र कंचनलाल रामदयाल तथा एक मृत पुत्र तोरनसिंह, पुत्री जामवन्ती तथा पत्नि का फोत होना अंकित किया गया है, इस सजरे में कुसमा नाम की कोई पुत्री अंकित नहीं है। इसके अलावा वादीगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे प्रमाणित होता हो कि मूलखातेदार बुद्वा की कुसमा नाम की कोई बेटी मौजूद रही है। इस तनकी को साबित करने में वादीगण विफल रहे हैं। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

2—आया बुद्वा के तस्दीक किये गये फोती इन्तकाल सं0 201 दिनांक 29.12.2010 समस्त वारिसान के स्थान पर केवल प्रतिवादी कम 1 लगायत 7 के नाम तस्दीक किये जाने से विधि विरूद्व व प्रभाव शून्य है ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण का है। नकल नामान्तरकरण नंबर 201 प्रदर्श 1 अनुसार मूलखातेदार बुद्वा की विरासत उसके दोनो जीवित पुत्र कंचनलाल रामदयाल, मृत पुत्र तोरनसिंह के वारिसान तथा एकमात्र पुत्री जामवन्ती के हक में दर्ज की गई है। वादीगण यह साबित करने में विफल रहे हैं कि उपरोक्त वारिसान (प्रतिवादी 1 ता 7) के अलावा मृतक बुद्वा का अन्य कोई वारिसान और मौजूद था जिसका नाम दर्ज होने से रह गया है। चूंकि वादीगण कुसमा को खातेदार बुद्वा की पुत्री प्रमाणित करने में विफल रहे हैं, इस कारण हम बुद्वा की दर्ज विरासत में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं। अतः यह तनकी भी वादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

3—आया वादीगण मृतक कुसमा के वारिसान होने से विवादित भूमि ग्राम गन्नाखेडी कुल किता 4 कुल रकबा 41.18 बीघा में 1/5 हिस्से से तथा ग्राम गन्नाखेडी में ही ख0नं0 132 रकबा 4.17 बीघा में 1/10 हिस्से से खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण का है। तनकी संख्या 1 व 2 के विष्लेशण अनुसार वादीगण यह साबित करने में विफल रहे हैं कि कुसमा खातेदार की पुत्री हो और वादीगण कुसमा के वारिसान हों। इस कारण विवादित भूमि ग्राम गन्नाखेडी कुल किता 4 कुल रकबा 41.18 बीघा तथा ग्राम गन्नाखेडी की ही आराजी ख0नं0 132 रकबा 4.17 बीघा में वादीगण का कोई हक अथवा अधिकार निहित होना नहीं पाया जाता है। अतः यह तनकी भी वादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

4—आया कि वादीगण को सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के अभाव में वाद चलने योग्य नहीं है ?

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण का है। वादीगण ने स्वयं को कुसमा के वारिसान होने का कथन करते हुये तथा कुसमा को खातेदार बुद्वा की पुत्री होना बताकर यह वाद पेश किया है। अनुतोष पाने के लिये वादीगण को यह प्रमाणित करना पडेगा कि वे कुसमा के वारिस है और कुसमा खातेदार बुद्वा की पुत्री है। इसके लिये वादीगण को सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार तय करा कर घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत करना चाहिये था, जो नहीं किया गया है, इसके विपरीत विवादित आराजी विरासत से प्राप्त होकर प्रतिवादीगण के रिकार्डेड खातेदारी की है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.02.10 17:10:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद

Scanned with OKEN Scanner

जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के हक में तय की जाती है।

5—आया वादी कुसमा की मृत्यु हिन्दु उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से पूर्व होने के कारण विवादित आराजीयात में कोई हक अधिकार नहीं है ?

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण का है। इस सम्बन्ध में पत्रावली में संलग्न मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति अनुसार कुसमा पत्नि कैलाशचंद (मूलखातेदार बुद्वा की पुत्री प्रमाणित नहीं) की मृत्यु दिनांक 10.04.2000 को हुई है, जो हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के लागू होने के पूर्व मृत्यु होना प्रमाणित है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के हक में तय की जाती है।

6—आया विवादित आराजी पिछले 40 सालों से स्वतंत्र कब्जे काश्त एवं प्रत्येक प्रतिवादी अपने अपने हिस्से पर काबिज होने से वादीगण को दखलन्दाजी करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ?

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण का है। प्रतिवादीगण को विवादित आराजी अपने पिता बुद्वा से वर्ष 2010 में विरासतन प्राप्त हुई है और प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार हैं। इसके विपरीत वादीगण का कोई हक अथवा अधिकार विवादित आराजी में प्रमाणित नहीं है, वादीगण स्वयं को कुसमा के वारिसान तथा कुसमा को खातेदार बुद्वा की पुत्री प्रमाणित करने में विफल रहे हैं। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के हक में तय की जाती है।

6. उपरोक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर वादीगण विवादित आराजी को पैत्रक होना, कुसमा का खातेदार बुद्वा की पुत्री होना, वादीगण का कुसमा पुत्री बुद्वा के वारिसान होना साबित करने में पूरी तरह विफल रहे हैं। अतः वादीगण का वाद सारहीन होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमंडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Jhingonia
Date: 2026.02.10 17:10:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्राथमिक–डिक्री मुकदमा इन्तदाई
(आदेश 20 नियम 6–7 जाप्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम शाहाबाद
वइजलास – श्री सुनील कुमार झिंगोनिया (आर.ए.एस.)

1–शशिकपूर उम्र पुत्र कैलाशचन्द जाति किराड निवासी मझारी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
2–निशाबाई पुत्री कैलाशचन्द पत्नि बबलेश जाति किराड निवासी देवरी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
3–कैलाश्चन्द पुत्र श्रीलाल जाति किराड निवासी देवरी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
वादीगण

बनाम

1–कंचनलाल पुत्र बुद्वा जाति किराड निवासी पीपलखेडी तलहटी तहसील शाहाबाद बारां राज0
2–रामदयाल पुत्र बुद्वा जाति किराड निवासी पीपलखेडी तलहटी तहसील शाहाबाद बारां राज0
3–जामवन्ती पुत्री बुद्वा पत्नि रामजीलाल जाति किराड निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद बारां राज0
4–रज्जू पुत्र तोरनसिंह जाति किराड निवासीं पीपलखेडी तलहटी तहसील शाहाबाद बारां राज0
5–संजय पुत्र तोरनसिंह जाति किराड निवासी पीपलखेडी तलहटी तहसील शाहाबाद बारां राज0
6–अरविन्द पुत्र तोरनसिंह जाति किराड निवासी पीपलखेडी तलहटी तहसील शाहाबाद बारां राज0
7–वादामी वेवा तोरनसिंह जाति किराड निवासी पीपलखेडी तलहटी तहसील शाहाबाद बारां राज0
8–कैलाश पुत्र शंकर जाति किराड निवासी पीपलखेडी तलहटी तहसील शाहाबाद बारां राज0
9–सुआ पुत्र शंकर जाति किराड निवासी पीपलखेडी तलहटी तहसील शाहाबाद बारां राज0
10–श्रीमति पुत्री शंकर पत्नि हरिशंकर जाति किराड निवासी भानपुर तहसील शाहाबाद बारां राज0
11–मिन्टा पुत्री शंकर पत्नि कल्ला जाति किराड निवासी सहरोलतलेटी तहसील शाहाबाद बारां राज0
12–गुलाब वेवा शंकर जाति किराड निवासी पीपलखेडी तलहटी तहसील शाहाबाद बारां राज0
13–राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,88,89,90,91,183,188 आर.टी.एक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Jhingonia
Date: 2026.02.10 17:10:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with OKEN Scanner

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू.....
व हाज़री.....मिनजामिन मुद्दई रूबरू.....
मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि **वादीगण का वाद सारहीन होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।** निज .....
.....मुबलिग.....बावत.
खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह.....फसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....को अदा करें।
सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **28.11.2025** को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प अर्जीदावा
स्टाम्प वकालतनामा			सटाम्प अर्जी
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना बकील
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुकमनामा
बवत इजराय हुकमनामा			मुतफरीक मीजान
मुतफरीक			

नोट– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्वा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Jhingonia
Date: 2026.02.10 17:10:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner